

समाहरणालय, मधेपुरा

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक-1-03-2014,

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनाबन्तगत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में (विशेष घटक) के पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु चतुर्थ किस्त कुल रु0-3,00,000=00 (तीन लाख) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/ सा0सु0 बजट-बिहार निःशक्तता-09/2013-स0क0-127 पटना, दिनांक-26/02/2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729 दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-996 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में विशेष घटक के पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु चतुर्थ किस्त संलग्न विवरणी के स्तंभ-5 अनुसार कुल रु0 3,00,000=00 (तीन लाख) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

2- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष -0103-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष -31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-P-2235607890103 तथा स्कीम कोड-WEL-5503 से विकलनीय होगा।

3- निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।


4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।

5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 137/सा0सु0को0, दिनांक- 1 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विशेष धटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31-06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार चतुर्थ किस्त उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	144	259200	0	259200
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	295	693000	0	693000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	12	21600	21600	43200
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	31	55800	0	55800
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	56	115200	46400	161600
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	192	337600	30000	367600
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	80	144000	30000	174000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	168	756000	0	756000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	58	154400	0	154400
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	25	45000	45000	90000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	122	183000	30000	213000
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	212	344200	52000	396200
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	210	428000	0	428000
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	20	42000	30000	72000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	10	21000	15000	36000
	कुल योग :-	1635	3600000	300000	3900000

मो० (तीन लाख) रुपये मात्र।

20
जान 2014
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।